

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1751

मंगलवार, 03 अगस्त, 2021/12 श्रावण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

देश में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना

1751 श्री मो. नदीमुल हक:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्यटन स्थलों के बढ़ते व्यवसायीकरण के साथ, जलवायु परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव एक गंभीर चिंता का विषय है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का लक्ष्य पर्यटन स्थलों के दोहन को सीमित करने और व्यवसायों के लिए पर्यावरण संबंधी विशिष्ट नियंत्रण लागू करने हेतु विशिष्ट विनियम लागू करने का है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) सतत पर्यटन के संबंध में लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और अगले दस वर्षों में कितने राजस्व का सृजन होने की संभावना है; और
- (ङ.) सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है, गत पाँच वर्षों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी हाँ। पर्यटक स्थलों के बढ़ते व्यवसायीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के प्रमुख वर्गों के लिए भारत के लिए स्थाई पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) तैयार किए हैं। यह मानदंड विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने स्थाई आजीविका के स्रोत और स्थाई विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक माध्यम के रूप में स्थाई पर्यटन की असीम संभावनाओं को पहचाना है। तदनुसार पर्यटन मंत्रालय ने इको पर्यटन पर फोकस के साथ स्थाई पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति एवं रोडमैप का प्रारूप तैयार किया है। इस दस्तावेज़ को और अधिक व्यापक बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो और उद्योग जगत के हितधारकों से राष्ट्रीय कार्यनीति एवं रोडमैप के प्रारूप के संबंध में प्रतिक्रिया/टिप्पणियाँ/सुझाव आमंत्रित किए हैं।

(घ) और (ङ.): पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थाई पर्यटन से प्राप्त राजस्व के आंकड़ों का संग्रहण नहीं किया जाता है। स्थाई पर्यटन के संवर्धन हेतु विशिष्ट रूप से निधियों का आवंटन अथवा लक्ष्य निर्धारण नहीं किया जाता है। तथापि पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देश में थीम आधारित पर्यटन परिपथों का विकास कर रहा है। इको परिपथ इस योजना के तहत विकास हेतु अभिज्ञात 15 थीमैटिक परिपथों में से एक है।

इस योजना के तहत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वदेश दर्शन योजना की इस परिपथ थीम के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

देश में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना के सम्बन्ध में दिनांक 03.08.2021 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 1751 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में विवरण

पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना की ईको परिपथ थीम के तहत विकास के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सूची

(करोड़ रु. में)

राज्य/स्वीकृति वर्ष	विवरण	स्वीकृत राशि
उत्तराखंड (2015-16)	टिहरी झील के चारों ओर टिहरी - चंबा - सराएन में परिपथ का विकास	69.17
तेलंगाना (2015-16)	महबूबनगर जिला (सोमासिला, सिंगोतम, कदलैवनम, अक्कामहादेवी, ईगलनपंटा, फरहाबाद, उमा महेश्वरम, मल्लेलातीर्थम) में परिपथ का विकास	91.62
केरल (2015-16)	पथनमथीट्टा - गावी - वागामोन - थेक्काडी का विकास	76.55
मिजोरम (2016-17)	आइजवाल - रापुईछिप - खावहपहवप - लेंगपुई - दर्तलांग - छतलांग - साकावरमुइतुइतलांग - मुथी - बेरातलवंग - तुरियल एयरफील्ड - हुमुईफांग में इको एडवेंचर परिपथ का विकास	66.37
मध्य प्रदेश (2017-18)	गांधी सागर बांध - मंडलेश्वर बांध - ओंकारेश्वर बांध - इंदिरा सागर बांध - तवा बांध - बारगी बांध - भेड़ा घाट - बाणसागर बांध - केन नदी का विकास	94.61
झारखंड (2018-19)	डलमा - चांडिल - गेटतलसुद - बेतला राष्ट्रीय पार्क - मिरचैया - नेतरहाट का विकास	52.72
